प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24 जून, 2023

विषय:-केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामप्रसाद पुत्र श्री रामसिंह, निवासी जनपद-रामपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-36309/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-10.01.2022), दिनांक-17.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामप्रसाद पुत्र श्री रामसिंह, कनकपुर, थाना-खुजरिया, जनपद-रामपुर का निवासी है। वादी का भतीजा बन्दी रामप्रसाद घटना से तीन-चार साल पूर्व से पागल हो गया था तथा परिवार से कोई मतलब नहीं रखता था अपनी इच्छानुसार काम करता था जिसका काफी इलाज कराया परन्तु फायदा नहीं हुआ। बन्दी ने दिनांक 11.06.1998 को समय रात्रि लगभग 11.00 बजे अपने पिता रामसिंह, माता-कोकिला देवी व भान्जी सुमन देवी सहित 03 लोगों की गड़ासे से मारकर हत्या कर दी व बहिन कमला, शीला व अपनी पुत्री राजकुमारी को गड़ासे से मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-34/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302, 324 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (न्या सं0-4), रामपुर के आदेश दिनांक 10.04.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। पुलिस अधीक्षक, रामपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा अपने ही माता-पिता व भान्जी की हत्या किये जाने एवं 03 लड़कियों को चोट पहुँचाकर घायल किया जाना समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी का आचरण आपराधिक प्रवृत्ति का होने, वादी के परिजन बन्दी के भय से गांव की चल व अचल सम्पति बेचकर बरेली में निवास कर रहे हैं। बन्दी के पास कोई जमीन नहीं है व आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बन्दी के पास आय का और कोई और साधन न होने के कारण समयपूर्व रिहा किये जाने पर गांव में वापस आकर उसके द्वारा पुनः अपराध कारित करने की प्रबल सम्भावना होने, बन्दी के अपराध कारित करने में पूर्ण रूप से सशक्त होने, बन्दी के चाचा के परिवारजन पूर्णरूप से भयभीत है जिस कारण गांव छोड़कर चले गये हैं तथा बन्दी की पत्नी अपने देवर के साथ उत्तराखण्ड में रह रही है। बन्दी की समयपूर्व रिहाई से वापस आने पर पत्नी को भाई के साथ रहते देखकर व चाचा के परिवारजनों के प्रति आक्रोश की भावना उत्पन्न होने, बन्दी समयपूर्व रिहा होकर गांव वापस आने पर किसी अप्रत्याशित घटना होने से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी को जेल में रखना उचित प्रतीत होने, बन्दी की पत्नी अपने देवर के साथ उत्तराखण्ड में रहती है बन्दी के छूटने पर विवाद होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 11.06.1998 को अपने माता-पिता व भान्जी सुमन देवी सहित 03 लोगों की गड़ासे से हत्या करने एवं 03 लड़कियों को गम्भीर रूप से घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामप्रसाद पुत्र श्री रामसिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामप्रसाद (बन्दी संख्या-41654) पुत्र श्री रामसिंह, निवासी जनपद-रामपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बंदी की लाइसेंस पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-412/2023/3658(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-412/2023/3658/22-2-2022-17(417)/2022

दिनांक 24 जून, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामप्रसाद पुत्र श्री रामसिंह, कनकपुर, थाना-खुजरिया, जनपद-रामपुर का निवासी है। वादी का भतीजा बन्दी रामप्रसाद घटना से तीन-चार साल पूर्व से पागल हो गया था तथा परिवार से कोई मतलब नहीं रखता था अपनी इच्छानुसार काम करता था जिसका काफी इलाज कराया परन्तु फायदा नहीं हुआ। बन्दी ने दिनांक 11.06.1998 को समय रात्रि लगभग 11.00 बजे अपने पिता रामसिंह, माता-कोकिला देवी व भान्जी सुमन देवी सहित 03 लोगों की गड़ासे से मारकर हत्या कर दी व बहिन कमला, शीला व अपनी पुत्री राजकुमारी को गड़ासे से मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-34/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302, 324 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (न्या सं0-4), रामपुर के आदेश दिनांक 10.04.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। पुलिस अधीक्षक, रामपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी ने अपने ही माता-पिता व भान्जी की हत्या किये जाने एवं 03 लड़कियों को चोट पहुँचाकर घायल किया जाना समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी का आचरण आपराधिक प्रवृत्ति का होने, वादी के परिजन बन्दी के भय से गांव की चल व अचल सम्पति बेचकर बरेली में निवास कर रहे हैं। बन्दी के पास कोई जमीन नहीं है व आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बन्दी के पास आय का और कोई और साधन न होने के कारण समयपूर्व रिहा किये जाने पर गांव में वापस आकर उसके द्वारा पुनः अपराध कारित करने की प्रबल सम्भावना होने, बन्दी के अपराध कारित करने में पूर्ण रूप से सशक्त होने, बन्दी के चाचा के परिवारजन पूर्णरूप से भयभीत है जिस कारण गांव छोड़कर चले गये हैं तथा बन्दी की पत्नी अपने देवर के साथ उत्तराखण्ड में रह रही है। बन्दी की समयपूर्व रिहाई से वापस आने पर पत्नी को भाई के साथ रहते देखकर व चाचा के परिवारजनों के प्रति आक्रोश की भावना उत्पन्न होने, बन्दी समयपूर्व रिहा होकर गांव वापस आने पर किसी अप्रत्याशित घटना होने से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी को जेल में रखना उचित प्रतीत होने, बन्दी की पत्नी अपने देवर के साथ उत्तराखण्ड में रहती है बन्दी के छूटने पर विवाद होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 11.06.1998 को अपने माता-पिता व भान्जी सुमन देवी सहित 03 लोगों की गड़ासे से हत्या करने एवं 03 लड़कियों को गम्भीर रूप से घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामप्रसाद पुत्र श्री रामसिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in